

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप. प्रक. क.-732 / 12

संस्थित दिनांक-07.09.2012

फाइलिंग नं.-23450300312012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

कत्तनबाई पति स्व0 हरिनारायण पनिका, उम्र-40 साल,

निवासी ग्राम दमोह थाना बिरसा जिला बालाघाट।

— — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक 20/02/2018 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा-20(2)(अ) सहपठित धारा-8 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 22.07.2012 को शाम के करीब 5:10 बजे ग्राम बाजार चौक दमोह थाना बिरसा अंतर्गत अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 220 ग्राम गांजा रखे पाये गये।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.2012 को मुखबिर मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दमोह बाजार चौक के पास एक महिला नारंगी साड़ी पहने है, जिसकी उम्र-लगभग 40-45 वर्ष अपने पास अवैध रूप से विक्रय हेतु गांजा रखी है। उक्त संबंध में रोजनामचा सान्हा क्रमांक 785 दिनांक 22.07.2012 में दर्ज कर आरक्षक क्रमांक 1054 विनोद यादव के माध्यम से स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया गया, जिन्हें उक्त सूचना से अवगत कराया गया तथा मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया। हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ घटनास्थल पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया अनुसार एक महिला मिली जो उन्हें देखकर घबरा गई, जिसका नाम पता पूछने

पर उसने अपना नाम कत्तनबाई बताया। उसे बताया गया कि उसने अपने पास अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखी है। तलाशी के संबंध में तलाशी पूर्व पंचनामा एवं तलाशी बाद पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-20(2)(अ) सहपठित धारा-8 स्वापक अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान गवाहों के कथन लेख किये गये। मौका-नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:

01. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 22.07.2012 को शाम के करीब 5:10 बजे ग्राम बाजार चौक दमोह थाना बिरसा अंतर्गत अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 220 ग्राम गांजा रखे पाये गये ?

विवेचना तथा निष्कर्ष

05— रामकिशोर मातरे अ.सा.03 ने कहा कि वह दिनांक 22.07.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दमोह बाजार में एक महिला अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखी हुई है। उक्त सूचना पर निरीक्षक मेडम किरो के साथ वह दमोह बाजार चौक गया था। हुलिया के मुताबिक एक महिला मिली, जिसने अपना नाम कत्तनबाई बताई थी, जिसे किरो मेडम ने अवैध रूप से गांजा बिक्री रखने की सूचना से अवगत कराया। स्वयं की तथा स्टाफ की एवं वाहन की तलाशी देने के बाद कत्तनबाई से तलाशी सहमति प्राप्त करने के बाद

कत्तनबाई की तलाशी ली गई थी। आरोपी के पास से पॉलिथीन में हरीनुमा सूखा पत्ती वाला पदार्थ मिला। सुंघकर देखने पर गांजा था। उक्त गांजा की मात्रा 220 ग्राम थी। उक्त गांजा की मात्रा से 25-25 ग्राम के दो सेम्पल निकाले गये, जिसे मौके पर अलग से सीलबंद कर जप्त किया गया। उसने पूछताछ के दौरान अपना कथन दिया था।

06— रामकिशोर मातरे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह थाना प्रभारी बिरसा के साथ गाड़ी से दमोह गये थे, घटना दिनांक को दमोह का बाजार था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी का मकान बाजार से लगा हुआ है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में जप्ती के गवाह है, उन्हें बिरसा से साथ में लेकर गये थे, उन्हीं को उन्होंने जप्ती के गवाह बनाये थे, इस प्रकरण में जप्ती के गवाह छोड़कर सभी साक्षी पुलिस विभाग के कर्मचारी है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जिस समय जप्ती की कार्यवाही हुई थी उस समय वह बाहर था, थाना प्रभारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका बयान प्रकाश मिश्रा निरीक्षक ने लिया था, विवेचक द्वारा जो बयान लिया गया था, उसमें उसने हस्ताक्षर कर दिया था, किस मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी इसकी उसे जानकारी नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि गांजा था या और अन्य वस्तु थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने किसी भी प्रकार की वनस्पति को पहचानने संबंधी कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, उसके सामने कोई वनस्पति का पौधा लाया जाये तो वह पहचान कर नहीं बता सकता कि कौन सा पौधा है, वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वह जप्तशुदा संपत्ति गांजा ही थी या नहीं।

07— साक्षी राधेलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

उसे बिरसा थाने में पुलिसवालों ने बुलवाये थे। उसने पुलिसवालों के कहने पर प्रदर्श पी.1 से लगायत प्रदर्श पी.10 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 22.07.2012 को थाना बिरसा के आरक्षक विनोद यादव द्वारा गवाह साक्ष्य हेतु टी.आई. किरो मेडम के बुलाने पर वह थाना गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बिरसा द्वारा उसे यह बताया गया था कि मुखबीर सूचना प्राप्त हुई है कि दमोह बाजार चौक के पास एक महिला नारंगी साड़ी पहनी हुई, उम्र-40-45 साल की है जो अपने पास अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखी है, मुखबीर सूचना से अवगत कराने के बाद मुखबीर सूचना प्रदर्श पी.2 बनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी.2 पर हस्ताक्षर किया था।

08— साक्षी राधेलाल अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह थाना प्रभारी बिरसा के साथ शासकीय वाहन में दमोह बाजार चौक हमराह गया था और मौके पर आरोपी मिली थी, जिसने अपना नाम कत्तनबाई बताया था, थाना प्रभारी द्वारा अवैध गांजा बिक्री रखने की बात आरोपी को बताई गई थी, तलाशी कराने की सहमति स्वेच्छा से कराने के बाद आरोपी की तलाशी ली गई थी और सहमति पंचनामा प्रदर्श पी.1 उसके समक्ष बनाया गया था, उक्त के पश्चात आरोपी की तलाशी लेने के पश्चात उसके दाहिने हाथ में एक नीले रंग की पॉलिथीन पाई गई थी, जिसे खोलकर देखने पर उसमें सूखा हरी पत्तीनुमा पदार्थ मिला था, थाना प्रभारी मेडम, स्टाफ और उनके द्वारा उक्त पदार्थ को रगड़कर, सूंघकर, मसलकर देखा गया तो गांजा मादक पदार्थ होना पाया गया था, आरोपी की तलाशी के पूर्व थाना प्रभारी, स्टाफ और उन लोगों की तलाशी हुई थी, जिसके संबंध में तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी.3 बनाया गया था, उसके समक्ष संदेही तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी.4 बनाया गया था, उक्त तलाशी के पश्चात आरोपी से जप्तशुदा पदार्थ गांजा होना पाया गया था, जिसके बाबद पहचान पंचनामा प्रदर्श पी.5 बनाया गया था।

09— साक्षी राधेलाल अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष जप्त गांजा 220 ग्राम पॉलिथीन सहित पाया गया था, उसके समक्ष गांजा का तौल यि जाने के पूर्व तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया गया था, आरोपी के पास पॉलिथीन में रखा गांजा भी 220 ग्राम पाया गया था का तौल पंचनामा प्रदर्श पी.7 उसके समक्ष तैयार किया गया था, उसके समक्ष 25-25 ग्राम के जप्तशुदा पदार्थ से दो सेम्पल निकाले गये थे, उसके समक्ष जप्तशुदा पदार्थ को सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी.8 बनाया गया था, उसके समक्ष आरोपी से जप्त 220 ग्राम गांजा प्रदर्श पी.9 के अनुसार जप्त किया गया था, उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.10 बनाया गया था, उसे और चंदनराव को थाने में बुलाकर लाने और पुलिस के साथ दमोह बाजार साथ में जाने का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में किया गया था।

10— साक्षी राधेलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह बी.एस.सी. स्नातक है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह इस बात को भी भली-भांति जानता है कि बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिये तथा वह फर्जी कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करता है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.10 में इसलिये हस्ताक्षर किया था कि उसके समक्ष विधिवत कार्यवाही हुई थी, उसने पुलिस को प्रदर्श पी.11 का बयान दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है इसलिये उसे बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह प्रकरण में 10 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया उस समय दस्तावेज कोरे थे, किस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर करवाया गया वह आज तक उसे नहीं बताया गया।

11— साक्षी चंदनराव अ.सा.02 का कथन है कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

उसे बिरसा थाने में पुलिसवालों ने बुलवाये थे। उसने पुलिसवालों के कहने पर प्रदर्श पी.1 से लगायत प्रदर्श पी.10 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 22.07.2012 को थाना बिरसा के आरक्षक विनोद यादव द्वारा गवाह साक्ष्य हेतु टी.आई. किरो मेडम के बुलाने पर वह थाना गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बिरसा द्वारा उसे यह बताया गया था कि मुखबीर सूचना प्राप्त हुई है कि दमोह बाजार चौक के पास एक महिला नारंगी साड़ी पहनी हुई, उम्र-40-45 साल की है जो अपने पास अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखी है, मुखबीर सूचना से अवगत कराने के बाद मुखबीर सूचना प्रदर्श पी.2 बनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी.2 पर हस्ताक्षर किया था।

12- साक्षी चंदनराव अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह थाना प्रभारी बिरसा के साथ शासकीय वाहन में दमोह बाजार चौक हमराह गया था और मौके पर आरोपी मिली थी, जिसने अपना नाम कत्तनबाई बताया था, थाना प्रभारी द्वारा अवैध गांजा बिक्री रखने की बात आरोपी को बताई गई थी, तलाशी कराने की सहमति स्वेच्छा से कराने के बाद आरोपी की तलाशी ली गई थी और सहमति पंचनामा प्रदर्श पी.1 उसके समक्ष बनाया गया था, उक्त के पश्चात आरोपी की तलाशी लेने के पश्चात उसके दाहिने हाथ में एक नीले रंग की पॉलिथीन पाई गई थी, जिसे खोलकर देखने पर उसमें सूखा हरी पत्तीनुमा पदार्थ मिला था, थाना प्रभारी मेडम, स्टाफ और उनके द्वारा उक्त पदार्थ को रगड़कर, सूंघकर, मसलकर देखा गया तो गांजा मादक पदार्थ होना पाया गया था, आरोपी की तलाशी के पूर्व थाना प्रभारी, स्टाफ और उन लोगों की तलाशी हुई थी, जिसके संबंध में तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी.3 बनाया गया था, उसके समक्ष संदेही तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी.4 बनाया गया था, उक्त तलाशी के पश्चात आरोपी से जप्तशुदा पदार्थ गांजा होना पाया गया था, जिसके बाबद

पहचान पंचनामा प्रदर्श पी.5 बनाया गया था।

13— साक्षी चंदनराव अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष जप्त गांजा 220 ग्राम पॉलिथीन सहित पाया गया था, उसके समक्ष गांजा का तौल किये जाने के पूर्व तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया गया था, आरोपी के पास पॉलिथीन में रखा गांजा भी 220 ग्राम पाया गया था का तौल पंचनामा प्रदर्श पी.7 उसके समक्ष तैयार किया गया था, उसके समक्ष 25-25 ग्राम के जप्तशुदा पदार्थ से दो सेम्पल निकाले गये थे, उसके समक्ष जप्तशुदा पदार्थ को सीलबंद करने का पंचनामा प्रदर्श पी.8 बनाया गया था, उसके समक्ष आरोपी से जप्त 220 ग्राम गांजा प्रदर्श पी.9 के अनुसार जप्त किया गया था, उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी. 10 बनाया गया था, उसे और राधेलाल को थाने में बुलाकर लाने और पुलिस के साथ दमोह बाजार साथ में जाने का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में किया गया था।

14— साक्षी चंदनराव अ.सा.02 का कथन है कि वह 12वीं तक पढ़ा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह इस बात को भी भली-भांति जानता है कि बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिये तथा वह फर्जी कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करता है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.1 लगायत प्रदर्श पी.10 में इसलिये हस्ताक्षर किया था कि उसके समक्ष विधिवत कार्यवाही हुई थी, उसने पुलिस को प्रदर्श पी.12 का बयान दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है इसलिये उसे बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह प्रकरण में 10 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया उस समय दस्तावेज कोरे थे, किस संबंध में थाना प्रभारी हस्ताक्षर करवाया गया वह आज तक उसे नहीं बताया गया।

15— साक्षी सतेन्द्र शर्मा अ.सा.05 का कथन है कि वह थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह न्यायालय में उपस्थित कत्तनबाई को जानता है। घटना लगभग दिनांक 24 जुलाई 2012 की है। घटना दिनांक को हमराह स्टाफ टी.आई. मेडम, महिला आरक्षक छाया एवं अन्य पुलिस स्टाफ सरकारी गाड़ी से ग्राम दमोह थाना बिरसा गये थे। उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला गांजा बेच रही है। ग्राम दमोह चौक के पास महिला कत्तनबाई गांजा बेच रही थी, उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी, जो पुलिस को देखकर कत्तनबाई घबरा गयी थी। महिला आरक्षक द्वारा कत्तनबाई को पकड़कर उसके पास से 220 ग्राम गांजा जप्त किया था। तलाशी लेने के पहले उनके द्वारा अपनी सहमति से तलाशी दी गई थी। उसके उपरांत महिला आरक्षक छाया गौतम एवं निरीक्षक मेडम जो उनके साथ गई थी। उनके द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी में जप्त 220 ग्राम गांजा का नापतौल कराया गया था। नापतौल के बाद 25-25 ग्राम के दो सेम्पल बनाकर मौके पर ही सीलबंद किया गया। सीलबंद करने के बाद जप्ती पंचनामा एवं मौके से गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया था एवं महिला आरक्षक की कस्टडी में थाना बिरसा लाया गया था। उसने टी.आई. मेडम किरण किरो को अपना बयान दिया था।

16— साक्षी सतेन्द्र शर्मा अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 22.07.2012 के शाम पांच बजकर दस मिनट बाजार चौक दमोह थाना बिरसा की है, वह नहीं बता सकता कि घटना 22.07.2012 की है या 24.07.2012 की है, क्योंकि घटना को चार-पांच साल हो गये हैं, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी कत्तनबाई द्वारा 220 ग्राम गांजा अपने कब्जे में अवैध रूप से रखे पायी गयी थी, जो एक नीले रंग की पॉलिथीन में थी, जिसकी कुल कीमत तीन हजार रुपये थी। साक्षी के अनुसार घटना 22.07.2012 की है, उसने जो घटना अपने बयान में 24.07.2012 बताया है उसके उपरांत उसे बाद में ध्यान आया था कि घटना 22.07.2012 की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक

22.07.2012 को निरीक्षक मेडम के साथ हम स्टाफ प्रधान आरक्षक रामकिशोर, आरक्षक छाया गौतम के साथ गवाह चंदन और राधेलाल शासकीय वाहन में लेकर गये थे। साक्षी ने उसका कथन प्रदर्श पी-14 पुलिस को न देना स्वीकार किया।

17— साक्षी सतेन्द्र शर्मा अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दमोह किस दिन गये थे उसे याद नहीं है, उस दिन ग्राम दमोह का बाजार था, बाजार चौक में आरोपी का मकान है और उस दिन मकान के सामने बाजार लगा हुआ था, जप्ती पंचनामा के गवाह चंदन और राधेलाल को अपने साथ में शासकीय वाहन में ग्राम दमोह लेकर गये थे, गवाह चंदन राव को जानता है। पुलिस थाना बिरसा के सामने चंदनराव की चाय की दुकान है। जप्ती पंचनामा साहब ने उसके सामने बनाये थे, लेकिन जप्ती पंचनामा में क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा में कौन-कौन से साक्षी के हस्ताक्षर हैं, उसे जानकारी नहीं है, जप्त पॉलिथीन में गांजा था, सब लोगों में सूंघा था, उसने उस गांजा को सूंघा था या नहीं उसे जानकारी नहीं है।

18— साक्षी सतेन्द्र शर्मा अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वनस्पति पहचानने संबंधी कोई ट्रेनिंग नहीं किये है। साक्षी के अनुसार कई बार पकड़ते रहते हैं, इसलिए वह गांजा पहचान सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर दस-पचास लोगों की भीड़ थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उपस्थित भीड़ में से जप्ती पंचनामा पर किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं लिये गये थे, तौल वगैरह की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं की गई है, उसके समक्ष जप्ती पंचनामा की कार्यवाही नहीं की गयी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जप्ती के पूर्व उन लोगों की अपनी तलाशी दी गयी थी। जप्ती के पूर्व उनका तलाशी पंचनामा बनाया गया था, लेकिन उसमें किस-किस साक्षी के हस्ताक्षर

थे उसे जानकारी नहीं है। उसके बाद विवेचक द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई उसे जानकारी नहीं है।

19— साक्षी छाया गौतम अ.सा.06 का कथन है कि वह घटना दिनांक को आरक्षक के पद पर थाना बिरसा में पदस्थ थी। वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी कत्तनबाई को जानती है। घटना दिनांक 22 जुलाई 2012 की है। घटना दिनांक को वह लोग स्टाफ के साथ निरीक्षक मेडम किरण किरो, आरक्षक सतेन्द्र शर्मा और वह हमराह स्टाफ मुखबिर की सूचना पर थाने की गाड़ी से रवाना हुये थे। रवानगी दर्ज कर बाजार चौक ग्राम दमोह पहुँचे थे। घटनास्थल पर आरोपी कत्तनबाई को दमोह बाजार चौक पर पकड़ा और पूछने पर उसने अपना नाम कत्तनबाई बताया था। उसकी तलाशी ली गयी, तलाशी में 200 ग्राम से उपर गांजा जप्त किया गया था। गांजा जप्त करने के उपरांत 25-25 ग्राम सेम्पल की दो पुड़िया बनाकर मौके पर ही सीलबंद किया गया था। महिला से तलाशी के पूर्व उनका तलाशी पंचनामा बनाया गया था। तराजू बांट जो जप्त हुआ था उसका नापतौल पंचनामा तैयार किया गया था। मौके से आरोपी कत्तनबाई को गिरफ्तार किया गया था, पूरी कार्यवाही उसके समक्ष की गयी थी। उसने अपना बयान अपने निरीक्षक मेडम किरण किरो को दिया था।

20— साक्षी छाया गौतम अ.सा.06 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 22.07.2012 को शाम के पांच बजकर दस मिनट की बाजार चौक दमोह की है, आरोपी कत्तनबाई से 220 ग्राम गांजा एक नीले रंग की पॉलिथीन से जप्त किया गया था, आरोपी ने अवैध 220 ग्राम गांजा अपने कब्जे में रखा था, तथा जब गांजा जप्त हुआ था वह देखने एवं सूंघने पर हरे रंग का सूखी पत्ती वाला था।

21— साक्षी छाया गौतम अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार

किया है कि उन लोग बिरसा से ग्राम दमोह शासकीय वाहन से गये थे। घटना के दिन बिरसा से जब दमोह गये, उस समय हमराह स्टाफ एस.डो.पी. साहब के वाहन से दमोह गये। जिस वाहन से वह दमोह गये थे उस वाहन में पुलिस स्टाफ के अतिरिक्त अन्य कौन लोग बैठे थे, उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस थाना बिरसा के सामने चाय की दुकान है, उस दुकानदार का नाम गणेश राव है। उसे याद नहीं है कि गणेशराव उनके साथ बिरसा से दमोह गया था। उसे जानकारी नहीं है कि गणेशराव और राधेलाल जिस वाहन से वह लोग गये थे, उसी वाहन से उनके साथ दमोह गया था। यह स्वीकार किया है कि वह जप्ती पंचनामा के समय उपस्थित थी। वह जप्ती पंचनामा के समय उपस्थित थी, लेकिन किन-किन के हस्ताक्षर थे, उसे जानकारी नहीं है। वह नामजद साक्षियों को नहीं जानती है।

22— साक्षी छाया गौतम अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवेचना टी.आई. मेडम द्वारा की गयी थी, कौन-कौन साक्षियों के इस प्रकरण में साक्ष्य लिये उसे जानकारी नहीं है। उसने पहले गांजा देखी थी उसी आधार पर वह बता रही है। यह स्वीकार किया है कि वह गांजे की सुगंध से पहचान जाती है कि यह गांजा है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि जप्ती के समय टी.आई. मेडम द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी, उसे जानकारी नहीं थी। यह स्वीकार किया है कि जिस गाड़ी से वह गये थे उस गाड़ी का नम्बर उसे याद नहीं है। उसके बयान टी.आई. मेडम द्वारा लिये गये थे। थाने से जाने के पूर्व थाना रवानगी दर्ज कर गये थे। थाना रवानगी पेश किये हैं या नहीं उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की विवेचना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि विवेचना किरो मेडम द्वारा की गयी थी, घटना के दिन दमोह बाजार था, घटनास्थल पर पांच-सात सौ लोग उपस्थित थे। घटनास्थल पर टी.आई. मेडम द्वारा मौका पंचनामा में पांच-सात सौ लोग के उपस्थित होने पर भी स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये या नहीं उसे जानकारी नहीं है। जप्ती पंचनामा पर साक्षी के रूप में उनके साथ जो लोग गये थे उनके हस्ताक्षर हुये या नहीं जानकारी नहीं

है। लिखा-पढ़ी हुई थी लेकिन उसे एक साल नौकरी को हुए थे, इसलिए जप्ती पंचनामा एवं हस्ताक्षर के बारे में वह नहीं बता सकती।

23— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 22.07.2012 को थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी कत्तनबाई को पहचानता है। वह निरीक्षक मेडम किरण किरो के साथ दमोह गया था। बाजार चौक दमोह में कत्तनबाई के पास गांजा मिला था, जो पैकेट में रखा हुआ पत्तीदार था। उसे याद नहीं है कि उक्त गांजा की कितनी मात्रा थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब भी कोई मुखबिर सूचना प्राप्त होती है तो थाने में दो स्वतंत्र गवाहों को बुलवाकर मुखबिर सूचना से अवगत कराया जाता है, वह निरीक्षक मेडम के कहने पर दो साक्षी चंदनराव एवं राधेलाल को बुलाकर लेकर आया था, उक्त दोनों साक्षी को निरीक्षक किरण किरो ने बताया था कि एक महिला नारंगी साड़ी पहने जिसकी उम्र-40-45 वर्ष, बाजार चौक दमोह में अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखी है। साक्षी को मुखबिर सूचना से अवगत कराने का पंचनामा बनाया गया था। साक्षी को बुलाने जाने की उसकी रवानगी सान्हा क्रमांक 786 दिनांक 22.07.2012 में इन्द्राज की गई थी।

24— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि साक्षी चन्दनराव एवं राधेलाल को थाना बुलाकर लाया गया था और मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया, का रोजनामचा सान्हा क्रमांक 788 दिनांक 22.07.2012 में लेख किया गया था, रोजनामचा सान्हा में लेख बात सही रहती है, बताये हुलियानुमा महिला एवं स्थान पर पहुँचने के बाद महिला को सूचना से अवगत कराकर उसकी सहमति लेकर एवं उनका एवं उनकी गाड़ी का निरीक्षण उपरांत महिला कत्तनबाई की तलाशी ली गई। उक्त कत्तनबाई के पास तलाशी लेने पर नीले रंग की पॉलिथीन में सूखा हरी पत्तीनुमा पदार्थ मिला था, जिसे सुंघने

पर गांजा ही पाया गया था।

25— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त गांजा की तौल कराई गई तो मात्रा 220 ग्राम पाई गई थी, जिसमें से 25-25 ग्राम के दो सेम्पल बनाकर मौके पर ही सीलबंद जप्ती एवं आरोपी कत्तनबाई की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी, उक्त गांजा पदार्थ सामान्यतः खुले बाजार में कभी भी नहीं मिलता है, कत्तनबाई उक्त गांजा पदार्थ को अवैध रूप से रखी हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने अपना पुलिस कथन प्र.पी.13 दिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि साक्षी चन्दनराव एवं राधेलाल स्वयं भी उनके साथ समस्त कार्यवाही में उपस्थित थे तथा घटना दो-तीन वर्ष पुरानी होने के कारण पूरी बात ध्यान न आने के कारण मुख्यपरीक्षण में नहीं बता पाया है।

26— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह थाना बिरसा में वर्ष 2009 से 2012 तक पदस्थ था और राधेलाल तथा चंदनलाल को पहचानता था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि चन्दनराव का होटल बिरसा थाना के सामने है, कई बार चन्दनराव की चाय हॉटल से थाने में आती है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि चन्दनराव को थाने में बुलवाकर केसों में हस्ताक्षर ले लिये जाते हैं, उनके थाने के कई केसों में उसके हस्ताक्षर हुए दस्तावेज इस न्यायालय में भी लगे हुए हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाना बिरसा से दमोह की दूरी 14 किलोमीटर है। उसे याद नहीं है कि घटना दिनांक को दमोह के बाजार का दिन था या नहीं। उसे याद नहीं है कि चन्दनराव और राधेलाल को थाना बिरसा से दमोह लेकर गये थे। यह स्वीकार किया है कि बाजार चौक में आरोपी कत्तनबाई का भी घर है। यह अस्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को कत्तनबाई के घर के सामने लगभग पांच सौ लोग उपस्थित थे।

27— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त 500 व्यक्ति में से थाने वाले ने किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बुलवाये थे, राधेलाल एवं चन्दनराव को बिरसा से लेकर गये थे उन्हीं के हस्ताक्षर करवाये थे, उसे याद नहीं है कि घटना का दिन कौन साथ था और किन-किन लोगों को लेकर वह गये थे, कत्तनबाई के घर में थाना प्रभारी ने क्या लिखा-पढ़ी की उसे जानकारी नहीं है वह बाहर था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि थाना प्रभारी ने कत्तनबाई से क्या जप्त किया था वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार गांजा था।

28— साक्षी विनोद कुमार यादव अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सभी लोग गांजा कह रहे थे, इसलिये वह भी गांजा कह रहा है, निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि गांजा था या नहीं, विवेचक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया। उसे याद नहीं है कि तलाशी लिये जाने के पूर्व उन लोगों का तलाशी पंचनामा बनाया गया था या नहीं। यह स्वीकार किया है कि जप्ती के बाद उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी ने क्या कार्यवाही की उसे जानकारी नहीं है, उसे याद नहीं है कि उसके समक्ष तौल कार्यवाही हुई थी या नहीं। यह अस्वीकार किया है कि उसे जो 220 ग्राम बताया था वह थाना प्रभारी के बताये अनुसार बताया था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सेम्पल जांच के लिए कहां भेजा गया, उसे जानकारी नहीं है तथा दमोह से वापस आने के बाद इस प्रकरण के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

29— साक्षी प्रकाश मिश्रा अ.सा.7 का कथन है वह दिनांक 31.07.2012 को थाना मलाजखण्ड में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 89/12 की जायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत थाना प्रभारी बिरसा किरण

किरो के बताये अनुसार घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी015 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा विवेचना के दौरान रामकिशोर मात्रे, विनोद यादव, सतेन्द्र शर्मा, छाया गौतम, सदानंद भारद्वाज, सुश्री प्रभा किरण किरो के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

30— साक्षी प्रकाश मिश्रा अ.सा.7 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि किरण किरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद प्रकरण उसे विवेचना हेतु दिया गया था, प्रकरण की सूचनाकर्ता एवं थाना प्रभारी किरण किरो ही थी, दमोह गांजा जप्त करते समय रामकिशोर मात्रे, विनोद यादव, सतेन्द्र शर्मा, छायागौतम, चंदनराव, राधेलाल बिरसा के शासकीय वाहन से ग्राम दमोह गये थे, घटनास्थल का नक्शा उसके द्वारा बनाया गया था। उसने घटनास्थल का नक्शा निरीक्षक किरण किरो के बताये अनुसार तैयार किया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का नक्शा बनाते समय स्वतंत्र साक्षी का पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं लिया है, किरण किरो के बताये अनुसार ही उसने नक्शा तैयार किया है।

31— साक्षी प्रकाश मिश्रा अ.सा.7 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि किरण किरो ने उसे घटनास्थल के संबंध में गलत जानकारी दी है, जो उसे जानकारी नहीं है। घटनास्थल का नक्शा बनाते समय ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण उसने स्वतंत्र साक्षी का घटनास्थल पर नक्शा में साक्षी के रूप में हस्ताक्षर नहीं कराया है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने नजरी-नक्शा थाने में बैठकर थाना प्रभारी के अनुसार तैयार किया था, उसने इस प्रकरण में सम्पूर्ण साक्षियों के बयान अपने मन से दर्ज किया था, उन्होंने उसके समक्ष कोई बयान नहीं दिये थे।

32— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 22.07.2012 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाने पर मुखबिर मोबाईल सूचना प्राप्त हुई कि दमोह बाजार चौक के पास एक महिला नारंगी साड़ी पहनी जो करीब 40 वर्ष की है, अपने पास बिक्री हेतु गांजा रखी है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही थाने से मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर साक्षियों को हमराह लेकर मुखबिर सूचना तस्दीक हेतु रवाना हुए, मुखबिर सूचना पंचनामा प्र.पी.02 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुखबिर सूचना की सूचना श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग, बैहर को दी गई थी, जो प्र.पी.18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

33— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को ही ग्राम दमोह बाजार चौक पहुँचकर गवाह चंदनराव तथा राधेलाल के समक्ष कत्तनबाई पति स्व० हरिनारायण दास का प्र.पी.01 का सहमति पंचनामा तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर प्र.पी.03 का उक्त गवाहों के समक्ष तलाशी पंचनामा फोर्स का तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाहों के समक्ष प्र.पी.05 का संदेही कत्तनबाई पति स्व० हरिनारायण दास के पास से तलाशी में मिली नीले रंग की पॉलिथीन में सूखा हरी पत्तीनुमा पदार्थ, जिसे अल्प मात्रा में निकालकर हथेली पर रगड़कर, मसलकर, सूँघ कर देखा गया, जो गांजा होना प्रतीत हुआ, का पहचान पंचनामा तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

34— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को ही ग्राम दमोह बाजार चौक में उक्त गवाहों के समक्ष तराजू बाट का भौतिक सत्यापन किया गया, जो तराजू के दोनों पल्ले सम पाये गये, बांट जो क्रमशः 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम व 05 ग्राम के सही पाये गये, जो प्र.पी.06 है,

जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष नीले रंग की पॉलिथीन में रखे गांजा की तौल की गई, जो 220 ग्राम पॉलिथीन सहित होना पाया गया, जो प्र.पी.07 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार उक्त गवाहों के समक्ष जप्तशुदा गांजा 220 ग्राम में से 02 सेम्पल 25-25 ग्राम के निकाले गये, जिसे मौके पर ही सीलबंद करने का पंचनामा प्र.पी.08 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

35— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी कत्तनबाई के कब्जे से नीले रंग की पॉलिथीन में रखा गांजा का प्र.पी.09 के अनुसार जप्ती पत्रक तैयार किया गया था, जिसमें आरोपी के कब्जे से एक नीले रंग की पॉलिथीन में रखा गांजा वजन मय पॉलिथीन के 220 ग्राम कीमती करीब 3,000/—रुपये। 220 ग्राम गांजा से 25-25 ग्राम के सेम्पल बनाकर मौके पर सीलबंद किया गया। मार्क मूल पैकेट 170 ग्राम का मार्क A तथा सेम्पल का मार्क B=1, B-2 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी कत्तनबाई को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना जानकीबाई पति मेहतरदास को दी गई थी।

36— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को ही गवाह चंदनराव एवं राधेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे, जिसमें उसके द्वारा कुछ जोड़ा या घटाया नहीं गया था। उसके पश्चात संपूर्ण कार्यवाही कर वापस थाना आकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 797 पर संपूर्ण कार्यवाही की प्रविष्टि की कार्यवाही उसके द्वारा दर्ज की गई। उसके पश्चात अपराध क्रमांक 89/12 अंतर्गत धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.20 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अग्रिम विवेचना कार्यवाही हेतु उसके द्वारा संपूर्ण केस डायरी थाना प्रभारी बैहर

को भेजी गई थी। दिनांक 23.07.2012 को जप्तशुदा 220 ग्राम गांजा में से अलग-अलग सेम्पल किये गये B=1, B-2 सेम्पल गांजे का अलग-अलग ड्रॉफ्ट तैयार कर पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर भेजा गया था, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया था, जो प्र.पी.16 है, जिसका परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.17 राज्य न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर से प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रेषित सेम्पल गांजा का पाया गया था।

37— साक्षी किरण किरा अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बिरसा एवं दमोह की दूरी 12-13 कि.मी. है, जिस मुखबिर के द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी, उससे मुलाकात घटनास्थल से पहुँचने से पूर्व नहीं किये थे, उक्त मुखबिर के कथन भी नहीं लिये थे, प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर के फोन नंबर को भी दर्ज नहीं किया गया था, दिनांक 22.07.2012 को दमोह बाजार था, घटनास्थल भी दमोह बाजार है, सूचना मिलने के बाद शासकीय वाहन से दमोह गये, उस समय चंदनराव एवं राधेलाल को भी अपने साथ लेकर गये थे।

38— साक्षी किरण किरा अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि नजरी-नक्शा उसकी निशादेही पर प्रकाश मिश्रा थाना प्रभारी बैहर के द्वारा बनाया गया था, नजरी-नक्शा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तैयार नहीं किया गया था, नजरी-नक्शा पटवारी के द्वारा बनाया गया था, नजरी-नक्शा पटवारी के द्वारा बनाया गया है, उसमें साक्ष्य के रूप में जो हस्ताक्षर कराया गया है, उक्त पंचनामा में उन साक्षियों का नाम इस प्रकरण की साक्ष्य सूची में नहीं रखा गया है। यह कहना सही है कि इस पंचनामा को तस्दीक करने के लिए पटवारी का नाम भी साक्ष्य सूची में नहीं रखा गया है। यह कहना सही है कि हमारे साथ जो शासकीय वाहन से साक्षीगण बिरसा से दमोह लेकर गये थे, उन्हीं से सहमति पंचनामा में हस्ताक्षर करवाये थे।

39— साक्षी किरण किरा अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों

को स्वीकार किया है कि तलाशी पंचनामा लिये थे उस समय वह रेड पार्टी में सम्मिलित थी, वह राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से आरोपी की तलाशी ली थी, तलाशी लेते समय वह आरोपी को यह नहीं बताई थी कि वह अमुख थाना में राजपत्रित अधिकारी या थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ है। उसके पद के संबंध में आरोपी के तलाशी के समय कोई पंचनामा नहीं बनाया गया था। साक्षी के अनुसार मौखिक बताया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पंचनामा की प्रति उसने आरोपी कत्तनबाई को नहीं दी थी, मुखबिर सूचना पंचनामा बनाते समय भी जो साक्षीगण को बिरसा थाने से शासकीय वाहन में लेकर दमोह गये थे, उन्हीं साक्षीगण के ही हस्ताक्षर उक्त पंचनामा में कराये गये हैं, जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं के हस्ताक्षर तलाशी पंचनामा में करवाये गये थे। यह कहना सही है कि जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं के हस्ताक्षर संदेही तलाशी पंचनामा में करवाये गये थे। यह कहना सही है कि जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं के हस्ताक्षर पहचान पंचनामा में करवाये गये थे।

40— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं साक्षीगण के तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा में हस्ताक्षर करवाये गये थे, जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं साक्षीगण के तौल पंचनामा में हस्ताक्षर करवाये गये थे, जो शासकीय वाहन से बिरसा से साक्षीगण चंदनराव एवं राधेलाल को लेकर गये थे, उन्हीं साक्षीगण के सीलबंद करने का पंचनामा में हस्ताक्षर करवाये गये थे, जब घटनास्थल से वापसी होने के दौरान भी उक्त साक्षीगण उनके साथ में थे, घटनास्थल का जो रवानगी बनाया गया है, उस समय भी उक्त साक्षीगण उनके साथ में थे।

41— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि संपत्ति जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक में भी उक्त साक्षीगण के ही हस्ताक्षर हैं किन्तु यह अस्वीकार किया है कि साक्षी चंदनराव एवं राधेलाल के बयान उसके द्वारा अपने मन से लेख किये गये थे। साक्षी के अनुसार उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 22.07.2012 को बाजार का दिन था उस दिन घटनास्थल पर लगभग 1000-2000 व्यक्ति उपस्थित थे, उसने 1000-2000 व्यक्ति उपस्थित होने के उपरांत भी उक्त प्रकरण की कार्यवाही में उन्हें सम्मिलित नहीं की हैं, गांजा बरामद करने के बाद उन लोगों ने आरोपी को यह सूचना पत्र या पंचनामा की सूचना नहीं दिये कि आपके पास से गांजा बरामद हुआ है, आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया था तब आरोपी को यह नहीं बताया गया था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और ना ही उसे गिरफ्तारी पंचनामा की प्रति दी गई थी।

42— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस प्रकरण में जो उसके द्वारा विवेचना की गई है उसमें उसके ही विभाग के कर्मचारी उक्त विवेचना का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने इस बात की जानकारी नहीं ली थी कि आरोपी एवं मुखबिर के बीच कैसे संबंध हैं। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि तलाशी सूची की प्रति भी आरोपी को नहीं दी गई थी, वह वर्तमान में नहीं बता सकती कि आरोपी के पास से कौन सा पदार्थ बरामद किया गया था। उन्होंने बरामद माल सील बंद कर थाना मोहर्रिर के सुपुर्द किया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि थाना मोहर्रिर को भी इस प्रकरण की साक्ष्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जप्त पदार्थ सील करते समय सील का नमूना चालान के साथ इस प्रकरण में पेश नहीं किया गया था, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 में जो व्यक्ति रेड पार्टी में है उसे तलाशी लेने का अधिकार नहीं है।

43— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि धारा-100 द.प्र.सं. की कंडिका-04 में विवेचना का जो प्रावधान किया गया है उसका उल्लंघन कर उसके द्वारा विवेचना की गई है किन्तु स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सहमति पंचनामा, मुखबिर सूचना पंचनामा, तलाशी फोर्स पंचनामा, संदेही तलाशी पंचनामा, पहचान पंचनामा, तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा, तौल पंचनामा एवं सील बंद पंचनामा बनाते समय कोई भी स्थानीय व्यक्ति के समक्ष पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। यह स्वीकार किया है कि थाने में जप्ती का माल मालखाना रजिस्टर में चढ़ाया गया उक्त नंबर का इंड्राज इस प्रकरण में नहीं किया गया है किन्तु अस्वीकार किया है कि उसने किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट को तलाशी की सूचना नहीं दी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्त सामग्री की सत्यापन के लिए न्यायालय में विश्लेषक को भेजे गये नमूने पर मोहर प्रस्तुत नहीं की गई है, एफ.एस.एल. रिपोर्ट भेजे गये सीलबंद में मोहर की तुलना थाने में थाना मोहरीर के पास रखे गये मोहर का मिलान उसके द्वारा नहीं किया गया, तलाशी एवं जप्ती के समय उसके अधिकार के संबंध में अवगत नहीं कराया गया था।

44— साक्षी किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही थाने में ही बैठकर की थी और घटनास्थल पर नहीं गई थी, सहमति पंचनामा, मुखबिर पंचनामा, तलाशी पंचनामा, पहचान पंचनामा, तराजू का भौतिक पंचनामा, तौल पंचनामा तथा सीलबंद पंचनामा थाने में ही तैयार किया गया था एवं आरोपी को झूठा फंसाने के लिये उसके द्वारा प्रकरण की कार्यवाही झूठी की गई है।

45— बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण के किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में दी गई साक्ष्य में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास अथवा विचलन प्रकट नहीं होता जिससे कि उक्त पुलिस कर्मचारी साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही करने वाली महिला

निरीक्षक किरण किरा अ.सा.08 अथवा उक्त हमराह पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस आशय की कोई चुनौती भी नहीं दी गई है कि उक्त पुलिस कर्मचारीगण में से किसी एक कर्मचारी की भी अभियुक्त से कोई पूर्व से रंजिश थी अथवा इन पुलिस कर्मचारियों के पास ऐसा अन्य कोई कारण था, जिससे यह माना जा सके कि वे अभियुक्त को मिथ्या रूप से आपराधिक प्रकरण में संलिप्त करना चाहते थे। यद्यपि प्रस्तुत दोनों ही स्वतन्त्र पंच साक्षीगण राधेलाल अ.सा.01 तथा चंदनराव अ.सा.02 अभियोजन कहानी का समर्थन न करने के कारण पक्ष विरोधी घोषित किये गये हैं। किन्तु उक्त दोनों ही स्वतन्त्र साक्षीगण प्रकरण में की गई कार्यवाही के दौरान निर्मित किये गये सभी दस्तावेजों में से प्रत्येक दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर होना अपने मुख्य परीक्षण में ही व्यक्त करते हैं।

46— निर्णय "Karamjeet Singh Vs. State;(2003) 5 SCC 291" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की तरह लेना चाहिये और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, पुलिस के मामले में भी लागू होता है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतन्त्र साक्षी की पुष्टि के बिना अच्छे आधारों पर पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर संदेह किया जावे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय "Ravindra Santram Sawant Vs. State of Maharashtra;(2002) 5 SCC 604" में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वतन्त्र साक्षी से पुष्टि आवश्यक नहीं है और साक्षीगण केवल इस कारण अविश्वसनीय नहीं हो जाते कि वे पुलिस कर्मचारी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण "Girdhari Lal Gupta Vs. D. N. Mehta; AIR 1971 SC 28" में यह प्रतिपादित किया है कि जिस पुलिस अधिकारी ने तलाशी ली हो उसकी साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी हो, तो मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती जब तक कि अभियुक्त के विरुद्ध

उसका प्रतिकूल होने का तथ्य न हो। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने एक एन. डी. पी. एस. एक्ट के प्रकरण "Roshan Singh Vs. State of M.P.; 2005 (1) MPLJ 292" में यह अवधारित किया है कि कोई साक्षी पुलिस कर्मचारी हो, मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती, विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य पर दोषसिद्धि स्थित नहीं की जा सकती। उक्त सम्बन्ध में अन्य न्याय दृष्टान्त "Ajmer Singh Vs. State of Hariyana; (2010) 3 SCC 746", "State of Asam Vs. Mohim Barkataki; AIR 1987 SC 98", "Girja Prasad Vs. State of M.P.; AIR 2007 SC 3106", Babulal Vs. State of M.P.; 2004 (2) JLJ 425", "Nathu Singh Vs. State of M.P.; AIR 1973" rFkk "Manoj Kumar Shukla Vs. State of M.P.; 2004 (4) MPLJ 179" भी अवलोकनीय हैं।

47— स्वापक औषधियाँ एवम् मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दर्ज आपराधिक प्रकरणों में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी अथवा अधिनियम के अन्तर्गत सशक्त अन्य अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-42, धारा 50 एवम् धारा-57 का पालन करना आज्ञापक है।

48— प्रकरण में तलाशी किसी भवन, प्रवहण अथवा स्थान की नहीं की जानी थी। बल्कि अभियुक्त से बाजार चौक दमोह अर्थात् लोकस्थल पर जप्ती की जानी थी। जबकि अधिनियम की धारा-42 के अन्तर्गत सूचना भेजा जाना केवल उन्हीं मामलों में आज्ञापक है, जिनमें कि किसी भवन, प्रवहण अथवा स्थान की तलाशी ली जानी हो। अर्थात् वर्तमान मामले में तलाशी, गिरफ्तारी या जप्ती की कार्यवाही किसी भवन, प्रवहण अथवा स्थान में न होकर लोक स्थल पर होने के कारण इस प्रकरण धारा-42 के प्रावधानों का पालन आज्ञापक होना नहीं माना जा सकता। बल्कि अधिनियम की धारा-43 के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही

करने का ऐसे अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।

49— स्वापक औषधियों एवम् मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के अपराध के प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियुक्त की तलाशी लेने के पूर्व अभियुक्त को इस अधिकार के बारे में अवगत कराया जावेगा कि वह यदि चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी करवा सकता है।

50— वर्तमान प्रकरण में चूँकि स्वयं राजपत्रित अधिकारी महिला निरीक्षक किरण किरो अ.सा.08 द्वारा ही जप्ती की कार्यवाही की गई है। अतः स्वयं राजपत्रित अधिकारी द्वारा जप्ती किये जाने के कारण अधिनियम की धारा-50 के अन्तर्गत अभियुक्त को सूचना दिया जाना विधि के अनुसार अनिवार्य भी नहीं था।

51— निर्णय "Josef Farnandis Vs. Goa State; (2000) 1 SCC 707" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त को सूचित किया जाता है कि वह चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से अपनी तलाशी करा सकता है, धारा-50 के प्रावधानों का सारभूत पालन माना जावेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन विचार में लेते हुये अत्यन्त तकनीकी रुख नहीं अपनाना चाहिये।

52— यद्यपि अधिनियम की धारा-50 के अवलोकन से ही यह भी स्पष्ट है कि तलाशी के दौरान अभियुक्त को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से तलाशी करवाने के अधिकार की सूचना तभी दी जानी अनिवार्य है जबकि अभियुक्त व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जानी हो। किन्तु वर्तमान प्रकरण में

मादक पदार्थ गांजा अभियोक्ति पॉलिथीन में लिये हुये थी और पॉलिथीन की तलाशी व्यक्तिगत तलाशी नहीं मानी जा सकती। क्योंकि व्यक्तिगत तलाशी उसे कहते हैं जो व्यक्ति द्वारा पहने हुये वस्त्र, मोजे, जूते आदि के अन्दर से किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है।

53— प्रकरण में जप्तशुदा गांजा साक्ष्य के समय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उसके विधिवत सीलबंद कर मालखाने में जमा किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं की गई है। स्वयं किरण किरो अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने बरामद माल सीलबंद कर थाना मोहर्रिर के सुपुर्द किया था, परंतु उक्त थाना मोहर्रिर को प्रकरण की साक्ष्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है और ना ही सील का नमूना चालान के साथ प्रकरण में पेश किया गया है। थाने में जप्तशुदा माल के मालखाना रजिस्टर में इंद्राज नंबर उल्लेख भी प्रकरण में नहीं किया गया है।

54— न्याय दृष्टान्त "Salag Ram Vs. State of Rajasthan, 2002 CRI. L. J. 1707" rFkk "Ayub Vs. State of Rajasthan' 2002 CRI. L. J. 1619" में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि जप्त शुदा पदार्थ ही फोरेंसिक लैब में जाँच हेतु भेजा गया था। ऐसी दशा में दोषसिद्धि स्थिर नहीं रखी जा सकती। वर्तमान प्रकरण में शेष तथ्यों के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य विश्वसनीय है, परंतु जप्तशुदा माल के न्यायालय में पेश न किये जाने और सीलबंद हालत में मालखाने में रखे जाने तथा सीलबंद हालत में ही एफ.एस.एल. सागर भेजे जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव होने से प्रकरण में युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियोक्ति को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 22.07.2012 को शाम के करीब 5:10 बजे ग्राम बाजार चौक दमोह थाना बिरसा अंतर्गत अपने आधिपत्य में अवैध रूप से 220 ग्राम गांजा रखे पाये गये। अतः अभियुक्त कत्तनबाई को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की

धारा-20(2)(अ) सहपठित धारा-8 के अंतर्गत अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

55— प्रकरण में अभियुक्त विचारण या विवेचना के दौरान अभिरक्षा में नहीं रही है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

56— प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा तथा उसके सैम्पल समस्त थैलियों सहित अपील अवधि के पश्चात् उचित निराकरण हेतु आबकारी विभाग को सौंपे जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)